# ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

(Ministry of Education, Government of India)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110 070
Ph. No.: 011-29581211, 29581215 Website: www.aicte-india.org

## PUBLIC NOTICE

The Council grants approval to a Society registered under the Societies Registration Act, 1860/ a Trust registered under the Indian Trust Act, 1882 / A company established under section 8 or Central Govt. / State Govt. / U.T for setting up and running an institution offering courses/ programmes under Technical Education. The Council also accords approval to the Deemed-to be-Universities and Stand-alone institutions and recommends the case of Universities for running programs in Open and Distance Learning (ODL) and / or Online mode to the UGC.

It has come to the notice of AICTE that some Edutech companies are giving advertisement in newspaper/ social media / television etc. offering MBA, MCA and other degree and diploma programs in conventional /ODL/Online modes in association with some universities/institutions approved by the Council. Such franchise arrangement is not permissible. The details of the institutions and the courses approved by AICTE is available on **www.aicte-india.org.**

All the stakeholders are hereby informed that they should check the recognition status on AICTE website.

**Prof. RAJIVE KUMAR**
Member Secretary, AICTE

**Advt. No: P&AP Bureau/01(01)/2022**

# अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110 070

फोन: 011-29581211, 29581215 वेबसाईट: www.aicte-india.org


## सार्वजनिक सूचना

परिषद् द्वारा, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी को / भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत ट्रस्ट को / धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी को / केन्द्र अथवा राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा स्थापित संस्थान को तकनीकी शिक्षा के तहत पाठ्यक्रम / कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान की स्थापना और संचालन के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है। परिषद्, मानित विश्वविद्यालयों और स्टैंड–अलोन (एकल) संस्थानों को अनुमोदन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) और / या ऑनलाइन मोड में कार्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालयों के मामले की सिफारिश भी करती है।

अभातशिप के ध्यान में यह आया है कि कुछ एडुटेक कंपनियां अभातशिप द्वारा अनुमोदित कुछ विश्वविद्यालयों / संस्थानों के सहयोग से पारंपरिक / ओडीएल / ऑनलाइन मोड में एमबीए, एमसीए और अन्य डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले विज्ञापन, अखबार / सोशल मीडिया / टेलीविजन आदि में दे रही हैं। ऐसी फ्रेंचाइजी की व्यवस्था की अनुमति नहीं है। अभातशिप द्वारा अनुमोदित संस्थानों और पाठ्यक्रमों का विवरण अभातशिप की वेबसाईट **www.aicte-india.org** पर उपलब्ध है।

सभी हितधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अभातशिप की वेबसाइट पर अनुमोदन की स्थिति की जांच कर लें।

**प्रो0 राजीव कुमार**

सदस्य सचिव, अभातशिप

**विज्ञापन सं. : नीति और शैक्षणिक आयोजना ब्यूरो / 01(01) / 2022**